न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–181/2024

GCMS No.- 2024/218

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी भदवासी तहसील व जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल।

निर्णय दिनांक :– 03.06.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 16 गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscation) के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल ने जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2025 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी का बहस मे कथन है कि घरेलू गैस की व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में डॉ. निकिता राठौड जिला, रसद अधिकारी नागौर के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवंर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.09.2024 को राजकीय वाहन संख्या आर.जे. 21 यूबी. 0200 से भदवासी पहुंचकर श्री नरेशकुमार पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी भदवासी के घर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री नरेशकुमार पुत्र श्री भगवानसिंह के घर पर घरेलू रसोई गैस के 16 गैस सिलेण्डर जिनमें 15 गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा एवं 01 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा का पाया गया। श्री नरेशकुमार से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री नरेशकुमार द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित 15 गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा एवं 1 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	140239-S	0
2	एचपीसीएल	542252-T	0
3	एचपीसीएल	234297-P	0
4	एचपीसीएल	387843-T	0
5	एचपीसीएल	263968-S	0
6	एचपीसीएल	177869-P	0
7	एचपीसीएल	960827-S	0
8	एचपीसीएल	106914-S	0
9	एचपीसीएल	788338-S	5.00 किग्रा
10	एचपीसीएल	13364-T	14.2 किग्रा
11	एचपीसीएल	001714-P	14.2 किग्रा
12	एचपीसीएल	876770-S	14.2 किग्रा
13	एचपीसीएल	307097-B	14.2 किग्रा
14	एचपीसीएल	147097-B	14.2 किग्रा
15	एचपीसीएल	460778-E	14.2 किग्रा
16	एचपीसीएल	385826-P	14.2 किग्रा

उपर्युक्त 15 गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा एवं 1 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री सुलेमान की सुपुर्दगी में दिये गये।

इस प्रकार श्री नरेशकुमार का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (ब), 7(1)(), (इ), (ब) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 15 गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा एवं 1 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20 सितंबर, 2024 को जिला रसद अधिकारी, नागौर, डॉ. निकिता राठौड़ के नेतृत्व में गठित प्रवर्तन दल द्वारा उतरदाता नरेशकुमार पुत्र श्री भगवानसिंह, निवासी भदवासी, नागौर के परिसर में किये गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया है। इस मामले में अप्रार्थी के खिलाफ लगाये गये आरोपों का पुरजोर खंडन करता है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मेरे निवास पर पाए गए सभी एलपीजी सिलेंडर पूर्णतः व्यक्तिगत उपयोग के लिए थे, न कि किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। यह तथ्य है कि मेरी आर्थिक स्थिति अस्थिर है और क्षेत्र में गैस की अनियमित

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

आपूर्ति के कारण मुझे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए गैस सिलेंडरों का भंडारण करना पड़ा। यह भंडारण किसी भी अवैध व्यापार में शामिल होने के इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि केवल एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

रसद विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान 14.2 किग्रा क्षमता के पंद्रह (15) घरेलू एलपीजी सिलेंडर तथा 5 किग्रा क्षमता का एक (1) घरेलू एलपीजी सिलेंडर कुल सोलह (16) सिलेंडर पाये गये थे। यह सभी गैस सिलेण्डर घरेलू रसोई के उपयोग के सिलेण्डर है तथा हमारा संयुक्त परिवार रहता है, इसलिए यह सभी सिलेण्डर एक जगह रखे गये थे। इन सिलेण्डरों का कनेक्शन एवं विवरण निम्नानुसार है तथा इन सभी के गैस कनेक्शनों के दस्तावेज हमारे द्वारा न्यायालय में पेश किये गये है। इसलिए निवेदन है कि जब्त सुदा सभी गैस सिलेण्डर हमे पुनः सुपुर्द किये जावे।

क्रम सं.	अप्रार्थी के परिजन/उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता क्रमांक
1.	सम्पुदेवी पत्नी ताराचंद जाति माली निवासी भदवासी	740305
2.	रमेशचंद परिहार जाति माली निवासी भदवासी	728656
3.	पूजा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी भदवासी	740307
4.	पुष्पादेवी पत्नी राकेश परिहार जाति माली निवासी भदवासी	728792
5.	भैराराम पुत्र बालूराम जाति माली निवासी भदवासी	740308
6.	रामनिवास परिहार जाति माली निवासी भदवासी	728627
7.	ओमप्रकाश परिहार जाति माली निवासी भदवासी	720318
8.	मंजू पत्नी भगवानाराम जाति माली निवासी भदवासी	737821
9.	रतनकंवर पत्नी प्रेमचंद जाति माली निवासी भदवासी	740224
10.	हेमलता पत्नी नरेश कुमार जाति माली निवासी भदवासी	740306
11.	हुक्मीचंद परिहार जाति माली निवासी कक्कूवालो की पोल, नागौर	717448
12.	बाबुलाल पुत्र रामजीवण जाति माली निवासी भदवासी	740302
13.	संतोष परिहार पत्नी नरेश कुमार जाति माली निवासी भदवासी	740225
14.	छोटूराम पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी भदवासी	740304
15.	भगवानसिंह परिहार पुत्र रामजीवण जाति माली निवासी भदवासी	740223
16.	जेनाराम पुत्र तेजमाल जाति माली निवासी भदवासी	740310

विद्वान वकील गैर सायल का यह भी कथन है कि उपर्युक्त वर्णित तालिका में वर्णित सभी व्यक्ति गैर सायल नरेश कुमार के रिश्तेदार व परिवारजन हैं तथा अप्रार्थी नरेश कुमार के गांव भदवासी में बाड़ा में रिक्त स्थान पर उक्त गैस सिलेण्डर सुरक्षार्थ व सहुलियत हेतु रखे गये थे। जिनमें से 07 सिलेण्डर खाली थे तथा 07 सिलेण्डर 14.2 कि.ग्राम. गैस व 01 सिलेण्डर 5 कि.ग्राम. गैस से भरे हुए थे। गैस रिफलिंग आपूर्तिकर्ता एजेन्सी के रिफलिंग कर्मचारियों द्वारा खाली सिलेण्डर लेकर भरे हुए गैस सिलेण्डर एक ही स्थान पर अप्रार्थी नरेश कुमार के बाड़े पर ही लाये, ले जाये जाते थे। इस वजह से एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते उक्त 16 व्यक्तियों के अलग–अलग गैस सिलेण्डर जो कि जब्ती अधिकारी ने जब्त कर लिये, को अप्रार्थी नरेश कुमार के बाडे में सुरक्षार्थ व इन व्यक्तियों के घर में जगह नहीं होने के साथ–साथ भरे हुए खाली हुए गैस सिलेण्डरों को देकर भरे हुए गैस सिलेण्डर आसानी से बिना दौड.–भाग के एक ही स्थान पर प्राप्त किये जा सके, इसके लिए अप्रार्थी नरेश को उक्त सिलेण्डरों की डायरियां देकर रखे हुए थे, ताकि सप्लाई आने पर खाली सिलेण्डर देकर भरे हुए सिलेण्डर लिये जा सके और जब उक्त व्यक्तियों के

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

निवास स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर खाली हो जाये, तब उक्त व्यक्ति अपने भरे हुए सिलेण्डर अप्रार्थी नरेश कुमार के बाड़े पर आकर ले जाते थे। इस तथ्य को लेकर अप्रार्थी नरेश कुमार ने कार्यवाही के समय उपर वर्णित सभी अधिकारियों को निवेदन किया और सभी गैस सिलेण्डर की डायरियां प्रस्तुत की व उनका निरीक्षण करने का निवेदन किया, लेकिन उक्त अधिकारियों द्वारा अप्रार्थी नरेश कुमार के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया, न ही गैस सिलेण्डर की डायरियों का निरीक्षण किया गया। तब अप्रार्थी नरेश कुमार ने उस स्थिति के रंगीन फोटोग्राफ भी तत्समय लिये, जिनकी प्रिन्ट आउट प्रतियां संलग्न जवाब प्रस्तुत की जा रही है। कार्यवाही हाजा में यह गलत अंकित किया गया है कि प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में वे पूर्णतः विफल रहे हो।

यह भी कथन है कि उपर वर्णित तालिका में दर्ज सभी व्यक्ति हमारे परिवारजन हैं, जिसके सत्यापन के संबंध में इनके वंशवृक्ष का सजरा जो तृतीय निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा वर्षो से तैयार किया जाता रहा हैं, की प्रति संलग्न जवाब हमने पेश की है। हर सूरत में उक्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा केवलमात्र धारा 148 भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत उपनिधान/बेलमेन्ट की हैसियत से अपने परिवारजन के प्रतिनिधि के तौर पर संरक्षित किये जा रहे थे तथा उक्त अभिरक्षा केवलमात्र एक एजेन्ट व एजेन्सी की अप्रत्यक्ष संविदा अन्तर्गत परिभाषित है।

अप्रार्थी नरेश कुमार द्वारा घरेलू एलपीजी का न तो अनाधिकृत भंडारण किया गया, न ही व्यावसायिक उपयोग के लिए उक्त भण्डारण था। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6A तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में घरेलू एलपीजी का भंडारण व्यावसायिक उपयोग के लिए कतई नहीं किया गया, अपितु उक्त गैस सिलेण्डर, सिलेण्डर के उपर वर्णित धारकों द्वारा स्वेच्छा से अपनी सुविधा व सुरक्षा के लिए अप्रार्थी नरेश कुमार के परिसर बाड़ा में लाकर रखे गये थे, जिनकी डायरियां तक अप्रार्थी को ही परिवारजन होने के कारण सम्भलाई हुई थी। सभी सोलह (16) सिलेंडरों को गलत जब्त किया गया हैं, यह अप्रार्थी नरेश कुमार के उपर वर्णित परिवारजनों की निजी सम्पति है।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी व अधिकारियों द्वारा अप्रार्थी के हस्ताक्षर खाली कागजों पर उसे डरा धमकाकर मौके पर करवाये गये थे, जबकि अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई बयान हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी या अधिकारियों को नहीं दिया, हस्तगत प्रकरण की नकले मिलने पर अप्रार्थी को प्रथम दफे जानकारी हुई कि उसके बयान किसी अन्य व्यक्ति के कलमी हाथ से लिखकर उसके हस्ताक्षरो का दुरूपयोग किया गया है, उक्त बयान अप्रार्थी के नहीं हैं, न ही अप्रार्थी द्वारा बयान के किसी पृष्ठ पर बयान अंकित होना जानकर हस्ताक्षर ही किये थे। इस प्रकरण में प्रार्थी व अन्य अधिकारियों द्वारा किसी निष्पक्ष गवाह के हस्ताक्षर भी कार्यवाही में नहीं करवाये हैं। साथ ही जब्ती के संबंध में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए की गई है। जिससे भी दूषित कार्यवाही कतई चलने काबिल नहीं हो सकती।

इन उपर्युक्त तथ्यों को बिना कंसीडर किये ही प्रार्थी पक्ष द्वारा गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से अप्रार्थी से राजनैतिक द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों के दबाव व प्रभाव में उनके इशारों पर वर्तमान कार्यवाही की गई है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में हम माननीय न्यायालय का ध्यान स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल (AIR 1992 SC 604) के मामले की ओर आकर्षित करना चाहते है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता है या यदि आरोप दुर्भावनापूर्ण है, तो न्यायालय को कार्यवाही को रद्द करने की

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

शक्ति है। इस मामले को लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913) 11 ALJ 489 के सिद्धांत के आलोक में भी देखा जाए, जिसमे यह कहा गया है कि किसी अनुबंध या नियम की जानकारी के अभाव में उल्लंघन को जानबूझकर किया गया नहीं माना जा सकता है।

अतः निवेदन है कि हस्तगत कार्यवाही अप्रार्थी नरेश कुमार के विरूद्ध टिनेबल व मेन्टेनेबल नहीं होने से उपर वर्णित आधारों पर इसी स्टेज पर निरस्त फरमाई जाकर अप्रार्थी नरेश कुमार को जब्तसुदा गैस सिलेण्डर जब्ती की हालत में ही सुपूर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र के संलग्न फर्द मौका मय फर्द जब्ती/सुपुर्दगीनामा दिनांक 20.09.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि मौके पर श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी–भदवासी द्वारा स्वयं के घर पर घरेलू गैस के कुल 16 गैस सिलेण्डर जिनमें 15 गैस सिलेण्डर (14.2KG) के एवं 1 गैस सिलेण्डर 5 Kg के पाये गये।

उक्त गैस सिलेण्डरों के भडारण के संबंध में श्री नरेश कुमार से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए। अपने बयानों में श्री नरेश कुमार ने बताया कि वह गैस एजेंसी से स्वयं के वाहन से लगभग 15 घरेलू गैस के सिलेण्डर भरकर स्वयं के घर पर खाली करता हैं व गांव के उपभोक्ताओं को जिनमें ज्यादातर उनके रिश्तेदार है को विक्रय करता है। श्री नरेश कुमार से घरेलू गैस के भंडारण, परिवहन व विक्रय के संबंध में किसी भी प्रकार अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर इनके पास इस संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र या आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किए जाने पर उक्त जब्तशुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए मेरे दवारा जब्त सरकार किया गया। मैसर्स गहलोत गैस, नागौर के इलेक्ट्रोनिक कांटे से सभी 16 सिलेण्डरों को तौलकर तलपट्टी बनाकर फर्द मौका के साथ संलग्न की गई। फर्द मौका गवाहों के समक्ष लिखा गया व पढ़कर सही जानकर बिना दबाब के हस्ताक्षर करवाए गए अंकित है। इस फर्द में जिला रसद अधिकारी नागौर, उनकी टीम एवं गैर सायल नरेश कुमार तथा सिलेण्डर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर है।

प्रस्तुत प्रकरण में जब्ती के समय गैर सायल नरेश कुमार के बयान प्रतर्वन निरीक्षक ने दर्ज किये है, उसमें नरेश कुमार ने यह बयान किये है कि मैं गैस एजेन्सी से मेरे स्वयं के वाहन में लगभग 15 घरेलु गैस के सिलेण्डर भरकर मेरे घर पर खाली करता हूँ। घर पर घरेलु गैस सिलेण्डर लाने के पश्चात् मैं गांव के उपभोक्ताओं जो मेरे परिवार के हैं) को मेरे घर से दे देता हूँ। आज श्रीमान् जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निरीक्षण के दौरान मेरे घर पर घरेलु गैस के कुल 16 (15 सिलीण्डर 14.2 Kg के व 01 सिलीण्डर 5 Kg) सिलेण्डर रखे हुए पाये गये है जो मैं उपभोक्ताओं को विक्रय करने हेतु गैस एजेन्सी से लाया था। मेरे पास घरेलु गैस के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र या आवश्यक दस्तावेज नहीं है। मैनें ये बयान पूर्ण होशो हवास में बिना किसी दबाब के दिये है। उपर्युक्त दर्ज बयानों पर नरेश कुमार के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जब्त सुदा गैस सिलेण्डर एवं गैस के दस्तावेज न तो वक्त जब्ती रसद विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करवाये एवं न ही न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश किये हैं। जब्त किये गये इन गैस सिलेण्डरों के कोई विधिक दस्तावेज भी अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का बहस मे कथन है जब्त सुदा सभी सिलेण्डर हमारे परिवारजनों के है जिनकी वंशावली एवं गैस कनेक्शन के दस्तावेज हमने पेश किये हैं। अप्रार्थी द्वारा पेश की गई गैस कनेक्शन डायरियों के अवलोकन से इन जब्त सुदा सिलेण्डरों का इन्द्राज होने का कहीं अंकन नहीं है तथा न ही इन गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं ने अपने गैस कनेक्शनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश किये हैं एवं न ही न्यायालय में इस प्रकार का आवेदन पेश कर जब्त सिलेण्डरों को प्राप्त करने की मांग की है। केवल मात्र अप्रार्थी द्वारा सभी गैस सिलेण्डरों की मांग किया जाना

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। गैर सायल द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेजों के इन गैस सिलेण्डरों एवं गैस का विक्रय किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार जब्त शुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं इनमें भरी हुई गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिया जाता है कि जब्त शुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किया जावे। प्राप्त राशि राजकीय घोषित की जाती है तथा राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर